

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी-सिल्ली बन्द कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

शासनादेश संख्या 5423/ 111(2)/ 10-18 (प्रा0आ0)/ 2010 दिनांक 27.10.2010 द्वारा जनपद बागेश्वर के विकास खंड, गरुड़ में धैना-लखनी मोटर मार्ग से लोहारी सिल्ली बन्द से कनस्यारी तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जनपद बागेश्वर में गरुड़-धैना-लखनी मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि०मी० के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8बी/09 / 876 /एफ.सी./ 99 दि० 21.10.1999 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शा०सं० जी.आई.-22/ 7- 1 2000 /600 /96 दि० 22.12.2000 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिमार-कुमरौड़ा-कनस्यारी मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि०मी० में भारत सरकार के पत्रांक 8 बी /यू.सी.पी./ 2245/09 /2000/ एफ.सी./195 दि० 19.06.2001 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शा०सं० जी.आई. 247/ 7- 1 2001 /600/ 2000 दि० 30.06.2001 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत मोटर मार्ग गरुड़-धैना-लखनी मोटर मार्ग के कि०मी० 1 के हिल साईड की ओर प्रस्तावित किया गया है जो सिल्ली, अमोली, मटेना, सेलखोला, जिनखोला, धौपा, पन्याली एवं बंड होते हुए कुमरौड़ा कनस्यारी में मिल जाता है। सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग की कुल लम्बाई 8.200 कि०मी० आती है। वन वन भूमि स्वीकृति उपरान्त शासन द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

विकास खंड, गरुड़ को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए गोमती नदी से एक ओर बागेश्वर गरुड़-कौसानी- अल्मोड़ा एकमात्र मोटर मार्ग निर्मित है। गरुड़ में विकास खंड एवं तहसील मुख्यालय है। क्षेत्र का मुख्य बाजार, कई शिक्षण संस्थान, अस्पताल, थाना आदि गरुड़ में होने से जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण उक्त मार्ग पर अक्सर जाम लग जाता है जिससे आने जाने वाले बाहनों, पर्यटकों एवं चिकित्सा वाहनों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गोमती नदी के दूसरी ओर लोहारी तल्ली जनसंख्या (128) अमोली (340) कनेडी (91) सिल्ली (777) मटेना (579) सेलखोला (81) जिनखोला (374) धौपा (02) पन्याली (227) एवं बन्द (303) अभी किसी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। यातायात के साधन न होने से अधिकारी कर्मचारी इस दूरस्थ क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं। ग्रामीणों का मूल व्यवसाय कृषि, पशुपालन एवं बागवानी है। परिवहन व्यवस्था न होने से स्थानीय जनता को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को धोड़े व खच्चरों के माध्यम से लाना पड़ता है। दुलान व्यय अधिक होने से इसका विपरीत असर गरीब जनता की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त गांवों की जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा होगी, साथ ही यह मार्ग गरुड़ तहसील मुख्यालय के लिए बाईपास मोटर मार्ग का कार्य करेगा जिससे गरुड़ बाजार में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी एवं पर्यटकों यात्रियों को आने जाने में हो रही कठिनाई से निजात मिलेगी। चिकित्सा एवं शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, गांवों का विकास होगा, युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे जिससे उनका शहरों की ओर पलायन रुकेगा। इस मार्ग के संरक्षण में कुल 1.747 है० सिविल सोयम भूमि एवं विभिन्न प्रजाति के कुल 185 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रशासकीय एवं जनहित में इस मोटर मार्ग का निर्माण आवश्यक है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर